Title: Requested to take proper steps regarding misutilization of the recently adopted licensing policy for preventing new enterprises by the old sugar mill owners.

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर) : केन्द्र सरकार द्वारा अपनाये गये निजीकरण धोरण के अनुसार निजी चीनी मिल खोलने के लिए जो मापदंड निर्धारित किये गये हैं, उसी के अनुसार पुराने चीनी मिल के 15 कि.मी. से बाहर नयी चीनी मिल को चलाने की अनुमति दे दी गयी है। इसी मापदंड के आधार पर पुराने को-आपरेटिव चीनी मिल के अध्यक्ष तथा उनके सहयोगियों ने उनके चीनी मिल के 15 कि.मी. नजदीकी एरिया में चारों तरफ लाइसेंस ले रखे हैं। इसिलए अब दूसरे लोगों को लाइसंस मिलना ही बंद हो गया है। जिन्होंने लाइसेंस लिया है, वे अपनी को-ऑपरेटिव चीनी मिवल का हित ध्यान में रखते हुए नयी लाइसेंस वाली चीनी मिल शुरु करने के इच्छुक नहीं हैं बल्कि दूसरे किसी को भी उसी एरिया में चीनी मिल शुरू करना संभव नहीं हो रहा है बल्कि नामुमकिन ही कर दिया है।

अत: मेरी सरकार से विनती है कि जिन्होंने लाइसेंस लिया है लेकिन अब तक निजी चीनी मिल शुरु नहीं की हैं, उनके लिए समय सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता है। उस समय सीमा के अन्तर्गत चीनी मिल शुरू नहीं हुई तो लाइसेंस रद्द करके जो कोई उसी एरिया में नयी चीनी मिल शुरू करना चाहता है, उसे अनुमति देने की जरूरत है। कृपया व्यापक हित ध्यान में रखते हुए उचित कार्यवाही हेतु अनुरोध है।